बनाम

नाम न्यायालय

केस संख्या

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रुप से
	3.3.12	वकील उभयपक्ष उप.। वकील वादी ने वादपत्र दुरुस्त किया। बाद में आदेश पत्रावली दि. 18.4.12 को पेश हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.
	18.4.12	वकील वादी उप.। वादपत्र [illegible] डिक्री किया जाता है। फैसला अलग से लिखा जाकर शामिल पत्रावली किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर रिकार्ड में जमा हो। सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी :- श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :- 25/2018

उनवान

1 गंगू उर्फ गंगाराम पुत्र स्व.घासीराम जाति जाट निवासी जगतपुरा तहसील शाहपुरा

वादी

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथू
2. रामपाल पुत्र गोपी
3. गणेश पुत्र गोपी
4. रोहिताश पुत्र प्रभू

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी दुसादों की जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 18-4-22

प्रकरण संक्षेप में इस प्रकार है। वादी के द्वारा वाद पत्र पेश कर जाहिर किया गया कि आराजी खसरा नम्बर 193/0.39, 194/0.38, 195/0.41, 196/0.62,197/0.62, 198/0.28, 199/0.03, 200/0.16, 201/0.14, 202/0.56, 203/0.41, 458/0.32, 459/0.32, 460/0.21, 787/0.51 कुल किता 15 रकबा 36 है0 भूमि वाके ग्राम जगतपुरा तहसील स्थित है, जिसकी खातेदारी वादी व उनसे भाई काना, चन्द्रा, खांगा पिता घासी हिस्सा 1/2 भैरूराम पुत्र लक्ष्मण हिस्सा 1/24, प्रभात पुत्र कानाराम हिस्सा 1/4 महेश कुमार पुत्र प्रभातराम हिस्सा 9/48, नाथी पुत्री लक्ष्मण हिस्सा 1/48 के नाम खातेदारी राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। वादी व उसके भाई काना, चन्द्रा व खांगा ने उक्त आराजी का अन्य सहखातेदारान भैरूराम वगैरह से बाहमी बटवारा कर रखा है। बाहमी बटवारे में आई भूमि को काना, चन्द्रा व खांगा ने वादी को ग्राम तेगरिया की भूमि के बदले में सुविधा के हिसाब से काश्त करने के लिए दे रखा है। उक्त बाहमी बटवारे के अनुसार वादी व उक्त आराजी के अन्य सहखातेदारान भैरूराम वगैरह मौके काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है। वादी ने खसरा नम्बर 202 की भूमि में अपने कृषि उपज, कृषि यंत्रो के रख रखाव आदि व पुख्ता मकानात बना रखे है। वादी व अन्य सहखातेदारान के मध्य वर्ष 2005 में उक्त आराजी में रास्ते के संबंध में मनमुटाव हो गया था। जिस पर ग्रामवासियों द्वारा अपसी सहमति से खसरा नम्बर 458,197,198,202 की पूर्वी सीमा से लगता हुआ 10 फुट चौडाई का रास्ता कायम किया गया जिसपर वादी व अन्य सहखातेदारान ने हस्ताक्षर किये। वादी व अन्य खातेदारान की आराजी भूमि से पूर्व सीमा डौल के लगती हुई पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण की खसरा नम्बर 358, 359 की भूमि है। इस कारण प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन सीमा डौल को लेकर वादी से विवाद करते रहते है। प्रतिवादीगण व उनके परिवारजन ने उक्त आराजी पर दिनांक 10.04.2018 को उसमे बने रास्ते की भूमि खसरा नम्बर 358, 359 के मध्य की सीम डौल की भूमि को जबरन काटकर अपनी भूमि में मिलाने को आमदा हुए। इस कारण वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्ध वादपत्र पेश करना आवश्यक हुआ। अंत में निवेदन किया कि प्रतिवादीगण आदि को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादी को उसकी खातेदारी भूमि आराजी ख0 न0 458/0.32, 197/0.62, 198/0.28, 202/0.56 है0 भूमि वाकै ग्राम जगतपुरा तह0 शाहपुरा जिला जयपुर की भूमि व सींव डौल के लगते 10 फुट चौडाई के रास्ते की भूमि अथवा उसके किसी भी भाग से जबरन बेदखल कर कब्जा नही करे।

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला जयपुर) राज.

वादी के द्वारा वाद पत्र पेश किये जाने पर विधिवत दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण की तलबी की । प्रतिवादीगण की ओर से कोई उपस्थित नही वकील प्रतिवादी उपस्थित जवाबदावा पेश नहीं किया ंक 25.02.2021 को प्रतिवादीगण के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वकील वादी । अपने वाद पत्र के समर्थन में साक्ष्यवादी में अपने शपथ पत्र पेश किये गये। वकील वादी ने अपनी स मे वाद पत्र को डिक्री कर प्रतिवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निवेदन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। आराजी खसरा 458 रकबा 2 है0 खसरा नम्बर 197 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 202 रकबा 6 है0 वाके ग्राम जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर की खातेदारी वादी व उसके भाइयों के नाम ास्व रिकार्ड मे दर्ज है।

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वे वादी को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा 458 रकबा 0.32 है0 खसरा बर 197 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.56 है0 वाके म जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से जबरन बेदखल नही करें। वादी को उक्त आराजी पर पयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नही करे। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 18-4-22 को सरै इजलास सुनाया गया । पत्रावली फैसल शुमार होकर ाखिल दफ्तर हो।

न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

सहायक कलक्टर
शाहपुरा (जिला-जयपुर) राज.

प्रपत्र – 5

मूल वाद में डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर शाहपुरा जिला जयपुर(राज.)

पीठासीन अधिकारी :– श्री मनमोहन मीना, आर ए एस

वाद संख्या :– 25/2018

उनवान

1 गंगू उर्फ गंगाराम पुत्र स्व.घासीराम जाति जाट निवासी जगतपुरा तहसील शाहपुरा

वादी

बनाम

1. महादेव पुत्र नाथू
2 रामपाल पुत्र गोपी
3 गणेश पुत्र गोपी
4 रोहिताश पुत्र प्रभू

समस्त जाति जाट निवासी ढाणी दुसादों की जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर

प्रतिवादीगण

उपस्थित श्री मदनलाल जाट, अधिवक्ता वादी

दावा स्थाई निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम – 1955

निर्णय दिनांक 18-4-22

अतः दावा वादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता कि वे वादी को उनकी खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि आराजी खसरा 458 रकबा 0.32 है0 खसरा म्बर 197 रकबा 0.62 है0, खसरा नम्बर 198 रकबा 0.28 है0, खसरा नम्बर 202 रकबा 0.56 है0 वाके ाम जगतपुरा तहसील शाहपुरा जिला जयपुर से जबरन बेदखल नही करें। वादी को उक्त आराजी पर उपयोग उपभोग में मजाहमत पैदा नही करे।

आज तारीख 18-4-22 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा लगाकर जारी की गई ।

(मनमोहन)
सहायक कलक्टर
शाहपुरा जिला जयपुर

वाद के खर्चे

वादी	रूपया	प्रतिवादी	रूपया
1. वाद पत्र के लिए स्टाम्प 2. शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प 3. प्रदर्शो के लिए स्टाम्प 4. .... रूपये पर प्लीडर की फीस 5. साक्षियों के लिए निर्वाह – व्यय 6. कमिश्नर की फीस 7. आदेशिका की तामिल		शक्ति पत्र के लिए स्टाम्प अर्जी के लिए स्टाम्प प्लीडर की फीस साक्षियों के लिए निर्वाह व्यय आदेशिका की तामील कमिश्नर की फीस	
जोड़		जोड़	